संख्या-61/2024/1337/12-5-2024/1803641/12-5/39/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,
   कृषि / राजस्व /गन्ना /उद्यान/ पंचायती राज/ ग्राम विकास/ आई.टी.एवं इलेक्ट्रॉनिक्स,
   उत्तर प्रदेश शासन ।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 18 नवम्बर, 2024**

विषयः-**एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के संबंध में विशेष अभियान दिनांक 18 नवम्बर से 31 दिसम्बर, 2024 तक चलाये जाने के सबंध में** ।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-43/2024/648/12-5099/2023 कृषि अनुभाग-5 दिनांक 12 जून, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-8 में 01 जुलाई 2024 से फार्मर रजिस्ट्री योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित निर्देश दिये गये थे। यद्यपि पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-43/2024/648/12-5099/2023 दिनांक 12 जून, 2024 में इस योजना का लाभ और क्रियान्वयन किये जाने की समस्त प्रक्रिया के विषय में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। तथापि आपकी सुविधा के लिए पुन: उपरोक्त विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दुओं को इस शासनादेश के साथ **संलग्नक (1)** पर वर्णित किया जा रहा है।

2. उपरोक्त फार्मर रजिस्ट्री योजना के क्रियान्वयन की समय सारिणी संशोधित करते हुए जनपदों में उक्त कार्य किये जाने के विषयगत दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से अभियान के रूप में निम्नवत कार्य किया जाना है :-

(i) निर्धारित समयावधि (दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक) में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किये जाने हेतु 02 प्रक्रियात्मक चरणों में इसे क्रियान्वित किया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

प्रथम चरण का आरम्भ

दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से आरम्भ किये जाने वाले इस प्रथम चरण में सेल्फ मोड में कृषक इस योजना हेतु बनाये गये वेब पोर्टल **https://upfr.agristack.gov.in.** एवं निरूपित किये गये मोबाइल एप **Farmer Registry UP** के माध्यम से स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। सेल्फ मोड के साथ-साथ कृषक जनपदों में संचालित जनसुविधा केन्द्रों (CSC) का प्रयोग करते हुए निर्धारित शुल्क देकर इसको करा सकेंगे।

(ii) फार्मर रजिस्ट्री का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अत: जन-जागरूकता/गाँव सभा की बैठक/ग्राम प्रधान एवं अन्य स्थानीय स्तर के जन संवाद माध्यम से जनपद के कृषकों को इस योजना के लाभ से संवेदित करते हुए यह बिंदु भी विशेष रूप से वर्णित किया जाये कि भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिसम्बर, 2024 के बाद पीएम किसान योजनान्तर्गत अग्रेतर मिलने वाली किश्त हेतु सम्बंधित कृषक का फार्मर रजिस्ट्री होना अनिवार्य है। अत: उक्त बिंदु के दृष्टिगत विशेष प्रयास कर पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को इस अभियान के आरम्भिक चरण में ही शत-प्रतिशत संतृप्त कर लिया जाए। जनपद के कृषकों के मध्य फार्मर रजिस्ट्री के विषय में उनके मोबइल पर एस एम एस से भी इसकी जानकारी साझा की जाये।

(iii). **फार्मर रजिस्ट्री हुतु कार्मिकों को नियुक्त करना।**

(क)कैंप में ऑपरेटर मोड हेतु कार्मिक नियुक्ति: कैंप मोड में कार्य किये जाने वाले कार्मिकों हेतु इस अभियान अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ऑपरेटर मोड बनाया गया है। जनपद में कार्यरत राजस्व विभाग के लेखपाल एवं कृषि विभाग के तकनीकी सहायक वर्ग-सी तथा खण्ड तकनीकी प्रबन्धक (बीटीएम) एवं सहायक तकनीकी प्रबन्धक (एटीएम) को कैंप मोड में ऑपरेटर के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जायेगा।

(ख) सहायक मोड में कार्मिक नियुक्ति: फार्मर रजिस्ट्री के कार्य को मोबाईल एप्प (**FARMER SAHAYAK UP APP**) का प्रयोग करते हुए योजनान्तर्गत कृषकों को आच्छादित किये जाने हेतु जनपद में अन्य प्रशासकीय विभागों यथा पंचायत राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, गन्ना विभाग एवं उद्यान विभाग के क्षेत्रीय कार्मिकों तथा जनपद में कार्यरत बीसी सखी एवं कृषि सखी को समुचित प्रशिक्षण देते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु बनाये गये मोबाइल एप का (FARMER SAHAYAK UP APP) का प्रयोग कर कार्य किये जाने हेतु कार्ययोजना बनाकर नियुक्त कर दिया जाए।

3. फार्मर रजिस्ट्री योजना अभियान का द्वितीय चरण (कैम्प मोड में क्रियान्वयन)

3(i)यद्यपि सेल्फ मोड एवं नियुक्त कार्मिकों द्वारा कृषकों के मध्य पहुंचकर फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने की कार्यवाही सतत रूप से की जाएगी तथापि इस कार्य को एक जन-अभियान के रूप में व्यापक रूप से लागू करते हुए शीघ्र पूर्ण किए जाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत स्तर पर कैम्प आयोजित कर वेब पोर्टल / मोबाइल ऐप का प्रयोग करते हुए इस कार्य को कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कैम्प आयोजित किए जाने के विषयगत तैयारी सुनिश्चित किए जाने वाली गतिविधियों की समय सारणी निम्नवत होगी:-

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	समय सीमा
1	योजना हेतु प्रचार-प्रसार का आरम्भ	15 नवम्बर, 2024
2	TMT तथा Operator ID बनाने का कार्य	16 से 18 नवम्बर, 2024
3	रिसोर्स शीट	15 नवम्बर, 2024
4	आपरेटर का प्रशिक्षण	16 नवम्बर, 2024
5	जिला स्तरीय हेल्प डेस्क की स्थापना	18 नवम्बर, 2024
6	प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर (SMT.DMT, TMT)	18 नवम्बर, 2024
7	जिला स्तरीय कैम्प चार्ट की सूचना उपलब्ध कराना	18 नवम्बर, 2024
8-	कैम्प मोड का प्रारम्भ और प्रथम कैम्प दिवस आयोजन	25 नवम्बर, 2024

i. फार्मर आईडी तैयार करने वाले कैम्प में राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारी/कर्मचारी, अर्थात लेखपाल,तकनीकी सहायक/एटीएम/बीटीएम की ड्यूटी लगायी जाये एवं पर्यवेक्षक अधिकारी के रूप में राजस्व निरीक्षक / नायब तहसीलदार अथवा कृषि अथवा कृषि उत्पादन शाखा के श्रेणी-2 के अधिकारीयों की ड्यूटी लगायी जाए।

ii. जिला प्रशासन द्वारा कैम्प मोड में नियुक्त होने वाले कार्मिको के विषय में एक रिसोर्स शीट तैयार की जायेगी, कैम्प का नम्बर, कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर हो।**(नमूना प्रारूप संलग्नक-2)**

iii. जिलाधिकारी अपने जनपद में बनायीं जाने वाली फार्मर रजिस्ट्री की संख्या के अनुरूप निर्धारित समयावधि में उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिय इस विषयगत आयोजित किये जाने वाले कैम्प के स्थल संख्या निर्धारण करते हुए उक्त के आयोजन की तिथि के कैलेंडर विषयगत कार्य योजना यथा शीघ्र बनाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कैलेंडर में सप्ताह के सोमवार से शनिवार तक के 6 कॉलम होंगे। प्रत्येक दिन के कॉलम में गाँव का नाम एवं कैम्प का नम्बर दिया जायेगा। यह अपेक्षित है कि कैम्प का आयोजन इस प्रकार किया जाये कि उक्त कैम्प से सम्बंधित राजस्व गाँव के समस्त कृषक की फार्मर रजिस्ट्री अभियान के दिन सुनिश्चित हो सके। गाँव में अधिक कृषको की संख्या के अनुसार अथवा आयोजित कैम्प के दिन किसी कारणवश छुटे हुए ऐसे कृषक जो सेल्फ मोड/जन सुविधा केन्द्र/नियुक्त कार्मिकों के माध्यम से योजना अंतर्गत आच्छादित नहीं हो पाएंगे उनके विषय में जनपद स्तर पर रिव्यू कर यथा आवश्यकता फ़ॉलोअप दिनों में भी उक्त गाँव हेतु पुन: कैम्प आयोजित कर योजनान्तर्गत समस्त कृषकों की शतप्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री सृजित करने का कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

iv. कैम्प हेतु गाँव एवं टीम का निर्धारण करते हुए उक्त हेतु चयनित स्थल एवं तिथि सम्बन्धी कैलेंडर का स्थानीय जनसंवाद के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए जिससे की कृषक उक्त आयोजित कैम्प का अधिकाधिक लाभ उठा सकें। जनपद के कृषकों के मध्य फार्मर रजिस्ट्री के विषय में उनके मोबाइल पर एस एम एस से भी इसकी जानकारी प्रदान की जाये।

http://agriculture.up.gov.in

v. कैम्प के आयोजन में यह ध्यान रखा जाये कि आयोजन स्थल कार्मिको के कार्य एवं उक्त कैम्प आने वालों के लिए सुविधाजनक हो और जहाँ आन लाइन (ONLINE) कार्य करने हेतु भली भांति इन्टरनेट/कुर्सी -मेज और बिजली की उपलब्धता रहे।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी. कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ०प्र० ।
2. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ०प्र०।
3. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
5. निजी सचिव / विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक-1

फार्मर रजिस्ट्री योजना

फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत प्रदेश के कृषक विवरण को एग्री स्टैक के अंतर्गत तैयार कर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में संकलित किया जाएगा। इस हेतु भारत सरकार द्वारा भूलेख के डेटाबेस को समेकित कर प्रत्येक राजस्व ग्राम के प्रत्येक समान नाम व पिता के नाम वाले कृषकों के ऑनलाइन बकेट तैयार कर राज्य को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है, जिसका प्रयोग कर राज्य स्तर से फार्मर रजिस्ट्री तैयार किया जाना है। उपरोक्त के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित वेब पोर्टल / मोबाइल एप का प्रयोग किया जायेगा।

2.प्रदेश के सभी भूमिधर/डेटाबेस (फार्मर रजिस्ट्री) का क्रियान्वयन:

एग्रीस्टैक के अन्तर्गत एक बुनियादी रजिस्ट्री हैं। फार्मर रजिस्ट्री के सम्बन्ध में भारत सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार :

i. फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने हेतु भारत सरकार द्वारा राजस्व विभाग के भूलेख के डेटाबेस को समेकित कर प्रत्येक राजस्व ग्राम के प्रत्येक समान नाम व पिता के नाम वाले कृषकों को समेकित करते हुए ऑनलाइन बकेट तैयार कर राज्य को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जायेगा।
ii. प्रदेश द्वारा इन बकेट का प्रयोग कर राज्य स्तर से फार्मर रजिस्ट्री तैयार किया जाना है।
iii. उपरोक्त के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाइल एप का प्रयोग किया जायेगा, जिसमें प्रदेश के समस्त कृषकों के सभी गाटों को सम्मिलित करते हुए कृषक के आधार से लिंक कराया जायेगा।
iv. तत्पश्चात कृषक से ऑनलाइन सहमति प्राप्त करते हुए ई केवाईसी की कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा।
v. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि माह दिसम्बर, 2024 से पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिलने वाले किस्त हेतु फार्मर रजिस्ट्री का होना अनिवार्य होगा। अत: यह आवश्यक है कि 30.09.2024 से पूर्व सभी कृषकों और विशेष रूप से PMKISAN के लाभार्थियों का फार्मर रजिस्ट्री में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए।
vi. इस प्रकार प्रत्येक किसान का नाम, पिता का नाम, स्वामित्व वाले समस्त गाटा संख्या, सह खातेदार होने की स्थिति में गाटे में किसान का अंश, मोबाइल नम्बर, आधार संख्या, eKYC विवरण फार्मर ररिस्ट्री में दर्ज होगा।
vii. किसी प्रकार के स्वामित्व हस्तांतरण (विरासत, बयनामा इत्यादि) होने पर फार्मर रजिस्ट्री स्वत: ही अद्यावधिक हो जाएगी।

viii. Digital Crop Survey के द्वारा प्रत्येक किसान के प्रत्येक गाटे में दो सत्र में बोई गई फसल का विवरण भी समेकित रूप से उपलब्ध होगा।

3. योजना का उद्देश्य एवं संभावित लाभ :

i. प्रदेश के समस्त कृषकों के आधार लिंक्ड रजिस्ट्री तैयार करना, जिससे योजनाओं का नियोजन, लाभार्थियों का सत्यापन, कृषि उत्पादों के विपणन आदि सुविधाजनक होगा।
ii. प्रदेश के समस्त कृषकों को राज्य सरकार द्वारा कृषकों के कल्याण हेतु संचालित विभिन योजनाओं का लाभ सुगम एवं पारदर्शी तथा समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना।
iii. योजनाओं में लाभ हेतु अथवा अन्य उद्देश से कृषकों की पहिचान एवं प्रमाणीकरण में सुगमता प्रदान करना।
iv. किसानों के लिए कृषि ऋण, वित्त, आदानों और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए कृषि सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराना।
v. प्रदेश के किसानों को बेहतर सेवा देने के लिए कृषि-संबद्ध विभागों के बीच योजना अभिसरण का सरलीकरण।
vi. उच्च गुणवत्ता वाले डेटा तक आसान पहुंच के साथ एग्री-टेक द्वारा उत्पादों और सेवाओं में नवाचार का विस्तार।
vii. पीएम किसान योजना के अंतर्गत किस्त प्राप्त करने हेतु अनिवार्यता की शर्त को पूर्ण कर लाभ प्राप्त करने में सुगमता होगी।
viii. कृषकों को फसली ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड एवं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड एवं कृषि के विकास हेतु अन्य ऋण प्राप्त करने में सुगमता होगी।
ix. फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने सुगमता होगी। इसके साथ साथ आपदा प्रबंध के अंतर्गत कृषकों को छति पूर्ती हेतु कृषकों के चिन्हांकन में सुगमता होगी।
x. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में कृषकों का पंजीकरण online माध्यम से हो सकेगा।
xi. कृषकों को समय से वांछित परामर्श(Advisory), विभिन्न संस्थाओं द्वारा कृषकों से सम्पर्क के अवसर में वृद्धि के साथ साथ नवोन्मेषी कार्यक्रमों के विस्तार में सफलता प्राप्त होगी।

4. योजना क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित तैयारी :

i. **फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने हेतु कार्मिकों /टीम का चयन :** योजना के क्रियान्वन हेतु भारत सरकार द्वारा निरुपित वेब पोर्टल और मोबाइल एप का प्रयोग किया जायेगा, जिसके माध्यम से कृषक के बकेट में उपलब्ध भूमि का सत्यापन, आधार सीडिंग, कृषक की सहमति प्राप्त करना तथा कृषकों के ई-केवाईसी

कराने का कार्य एक टीम गठित कर संपादित किया जायेगा। योजना का कार्य सुनिश्चित करने हेतु जनपद में कार्यरत राजस्व विभाग के लेखपाल, कृषि विभाग के तकनीकी सहायक वर्ग सी, पंचायत, गन्ना एवं उद्यान विभाग के क्षेत्रीय कार्मिक, खंड तकनीकी प्रबंधक (बीटीएम) एवं सहायक तकनीकी प्रबन्धक (एटीएम), बीसी सखी, कृषि सखी को इस हेतु चयन किया जाएगा।

ii. **ट्रेनिंग**: इस विषय में राज्य स्तर से लेकर तहसील स्तर तक प्रशिक्षण आयोजित कराया जा चुका हैं। राज्य स्तरीय पर कृषि एवं राजस्व विभाग के प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स/ रिसोर्स पर्सन तथा जनपद एवं तहसील स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा कार्मिको को यथा आवश्यकता सतत रूप से चयनित कार्मिको को प्रशिक्षण तथा सहयोग प्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षक जनपद में फार्मर रजिस्ट्री हेतु रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य करेंगे एवं क्षेत्रीय कार्मिकों को फार्मर रजिस्ट्री के सम्बन्ध में आने वाली समस्याओं का यथाआवश्यक निस्तारण करेंगे।

iii. **फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने वाले कार्मिकों एवं मास्टर ट्रेनर का चयन एवं क्षेत्र आवंटन जिलाधिकारी के स्तर से किया जायेगा।**

iv. **स्टेट नोडल अधिकारी :** राज्य स्तर पर स्टेट नोडल अधिकारी, कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश है।

v. **स्टेट टेक्निकल कोऑर्डिनेटर :** फार्मर रजिस्ट्री के कार्यक्रम को सुचारू प्रकार से संचालित करने के उदेश्य से राजस्व विभाग के अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्निकल कोऑर्डिनेटर नामित हैं जो, एनआईसी, राजस्व परिषद् की टीम के सहयोग से समस्त तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ती एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

vi. **जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी :** जनपदों में कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करने हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी नोडल ऑफिसर तथा मुख्य विकास अधिकारी प्रोजेक्ट ऑफिसर होंगे। जनपद स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने हेतु जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा योजना संबंधी समस्त कार्य अपने मार्गदर्शन में सुनिश्चित कराया जायेगा।

vii. **हेल्प डेस्क की स्थापना :** राज्य स्तर पर ई खसरा पड़ताल (डिजिटल क्रॉप सर्वे) हेतु गठित हेल्प डेस्क द्वारा ही फार्मर रजिस्ट्री के कार्य से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्मिकों को आने वाली विभिन्न समस्याओं के निस्तारण कराया जायेगा। साथ ही प्रत्येक जनपद में भी एक-एक हेल्पडेस्क स्थापित किया जाएगा, जिससे

फार्मर रजिस्ट्री के कार्य के समय आने वाली किसी भी समस्या का यथासंभव त्वरित निस्तारण स्थानीय स्तर से ही संभव हो सके।

viii. **अभियान का प्रचार-प्रसार :** फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने हेतु राज्य स्तर से एवं जनपद स्तर से प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा, जिससे कृषकों को फार्मर रजिस्ट्री हेतु जागरूक किया जा सके। इसके अतिरिक्त जनपदों में स्थानीय स्तर पर पंचायत की मदद से कृषकों को कैंप आयोजन की तिथि समय एवं स्थान के सम्बन्ध में जानकारी दिया जाये, जिससे कैंप में ज्यादा से ज्यादा कृषक प्रतिभाग कर सकें। आयोजन स्थल के रूप में राजस्व ग्राम के किसी सार्वजानिक स्थल को चुना जायेगा। PM KISAN के लाभार्थियों का SMS भेजकर उनके ग्राम में लग रहे शिविर की तिथि की जानकारी की जाएगी, जिससे वह फार्मर रजिस्ट्री में नाम दर्ज रख सके।

5. योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण :

शासनादेश संख्या-43/2024/648/12-5099/2023 कृषि अनुभाग-5 दिनांक 12 जून, 2024 के अनुसार योजना के क्रियान्वन हेतु राज्य स्तर के साथ -साथ जनपद एवं तहसील स्तर की समितियों के गठन को वर्णित किया गया। उक्तानुसार योजना का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up

संलग्नक 2

रिसोर्स शीट (नमूना प्रारूप)

जनपद का नाम

Camp No.	Agriculture		Revenue	
	Name of operator	Phone Number	Name of operator	Phone Number

http://shasanadesh.up.gov.in